

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा 11/11/13

पत्रांक-एम-4-27/2011-11186-130

4115-4-320-2
11/11/13-23/10/13

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।



रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव।

रामेश्वर सिंह
23/11/13 Imp

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 20/11/13

14 नवी 2013 को
शे. 1 - 11/11/13
1680
19/11/13

विषय - निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा योजना/गैर योजना की स्कीम की राशि की निकासी कर बैंक खाते में संचित करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34, 176 तथा 177 के तहत प्रावधानों का अन्तर्गत यह है कि आवंटन के व्ययगत होने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में संचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे सरकार के स्पष्ट आदेश के बिना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को बैंक में खाता नहीं खोलना है। लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर कोषागार से राशि की निकासी कर बैंकों में जमा किया जा रहा है।

अनुरोध है कि जिले के अंदर अपने अधीनस्थ कार्यालयों और अन्य विभागों के भी विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के पदनाम से धारित बैंक खातों, से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में वित्त विभाग को उपलब्ध करावें।

प्रपत्र

क्र. सं.	खाताधारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	खाता खोलने का आदेश संख्या/दिनांक	उद्देश्य	बैंक खाते में रखी राशि योजना की है या गैर योजना की।	01.04.2013 को अवशेष राशि	अद्यतन जमा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

उपर्युक्त विवरण 15 दिनों के अंदर फैंक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।

समाहरणालय मधेपुरा
[स्थापना शाखा]

विश्वासभाजन,
30/10/13
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव।

प्रतिकृति :- झापांक 1209-2/स्था, 07-12-2013
दु.मी. कार्यालय प्रधान मधेपुरा जिला को
दु.चनाथ एवं आवश्यक कार्य पर पत्र।

जिला स्थापना उप समाहर्ता
समाहरणालय मधेपुरा